

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 97

No. 135]

DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938,

[N.C.T.D. No. 97

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

सं. फा. डीएचई. 4(68)/एसएफआरसी/14-15/1961-1974.—दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु कॅम्पिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं में पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिये शुल्क निर्धारित करने के लिये और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिये दिनांक 01 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं डीएचई 4(45)/2007-08/6962 के अनुसार राजकीय शुल्क विनियामक कमेटी गठित की थी और उक्त कमेटी ने 2013-16 की अवधि के लिये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिये शुल्क संरचना जिसे दिनांक 19 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या फा. डीएचई. 4(68)/एसएफआरसी/14-15/9712 द्वारा वर्ष 2013-14 तक बढ़ाया गया था, जिसे आगे शैक्षणिक वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 तक बढ़ाया गया।

अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) एवं (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद् द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2012-13 की शुल्क संरचना की वैधता को शैक्षणिक वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के लिये बढ़ाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
शिव कुमार, निदेशक (उच्च शिक्षा)

**DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION****NOTIFICATION**

Delhi, the 4th July, 2016

**F. No. DHE 4(68)/SFRC/14-15/1961-1974.**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi Act 8 of 2007), the Government of the National Capital Territory of Delhi constituted a State Fee Regulatory Committee vide notification No. F. DHE (45)/2007-08/6962 dated the 1<sup>st</sup> February, 2013 for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the smooth functioning assigned to it in the said Act. The said committee has submitted its report for the academic years of 2013-16.

Whereas the Government of the National Capital Territory of Delhi has decided that the fee structure for the academic year 2012-13 which was extended upto year 2013-14 vide notification No. F. No. DHE 4(68)/SFRC/14-15/9712 dated the 19<sup>th</sup> February, 2016, be further extended to the academic years 2014-15 and 2015-16.

Now, in exercise of the powers conferred by sub sections (3) and (13) of section 6 of the said Act, the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby extends the validity of fee structure of the academic year, 2012-13 for the academic years 2014-15 and 2015-16.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

SHIV KUMAR, Director (Higher Education)